रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2015/फाल्गुन 21, 1936
No. 80] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2015/PHALGUNA 21, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2015

फा. सं. 1-62/एफएसएसए/2014-डीएफक्यूसी.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया) विनियम, 2010 का संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) और धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) की अधिसूचना सं. फा. सं. 1-62/एफएसएसए/2014-डीएफक्यूसी तारीख 8 अगस्त, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में तारीख 2 जून, 2014 को उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य हैं, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाई गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 8 अगस्त, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अत: अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (5) के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया) विनियम, 2010 का संशोधन करने निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया) विनियम, 2010 में,–

(क) विनियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"**2क. सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि–** खाद्य उद्योग, कृषि उपभोक्ता, सुसंगत अनुसंधान निकायों और खाद्य प्रयोगशालाओं से सुसंगत अनुभव रखने वाले सदस्यों की खाद्य प्राधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्ति की जाएगी और वह तीन वर्ष की और कालावधि के लिए पुन: नियुक्ति के पात्र होंगे ।",

(ख) विनियम 16 में "16. व्ययों की प्रतिपूर्ति", अंकों और शब्दों के स्थान पर "14. व्ययों की प्रतिपूर्ति", अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं.. 1-61/एफएसएसए/2009-डीएफक्यूसी तारीख 4 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2015

F.No. 1-62/FSSA/2014-DFQC.—Whereas the draft of certain regulations to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Regulations, 2010, was published as required under sub- section (1) of section 11 and clause (b) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No. 1-62/FSSA/2014-DFQC dated the 8th August, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part Ill, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 8th August, 2014;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Regulations, 2010, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Amendment Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Regulations, 2010, -

(a) after regulation 2, the following regulation shall be inserted, namely:-

"2A. Appointment of members and tenure.- The members from the food industry, agriculture,consumers, relevant research bodies and food laboratories with relevant expertise shall be appointed by the Food Authority for a period of three years from the date of their appointment and shall be eligible for re-appointment for a further period of three years";

(b) In regulation 16, for the figures and words "16. Reimbursement of expenses", the figures and words "14. Reimbursement of expenses" shall be substituted.

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 1-61/FSSA/2009-DFQC, dated the 4th March, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.